

## एक नजर में



मां के संग पानी में मस्ती करते दिखे 4 शावक

उमरिया, जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो खिलौनी जौन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक बाधिन अपने चार नन्हे शावकों के साथ पानी में खेलती और उन्हें सिखाती नजर आई. गर्मी के इस मौसम में जहां जंगल के अधिकांश हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है. वहीं ऐसे जलस्रोत नन्हे जीवों के लिए राहत का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है.

## बालाघाट में फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़

बालाघाट, पुलिस ने बड़े साइबर फर्जीबाई का खुलासा किया है, जिसमें एक ही व्यक्ति के चेहरे की फोटो से 105 मोबाइल सिम कार्ड जारी किए गए. मामला पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट में दर्ज अपराध क्र. 184/2026 से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फोटो एडिट कर फर्जी आधार और वोटर आईडी बनाई और इसके जरिए अलग-अलग नामों से सिम कार्ड लिए. साइबर सेल प्रभारी कमलेश यादव की जांच में पीओएस एजेंटों की मिलीभगत भी उजागर हुई.

## दतिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत

दतिया, जिले में भिण्ड-भांडेर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफतार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा भांडेर थाना क्षेत्र के तिगरा खिरिया गांव के पास हुआ. छापछाप निवासी संजू दौहरे और अमित परहार भांडेर से घरेलू सामान खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे. उनके साथ हरिमोहन दौहरे भी बाइक पर सवार था. इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफतार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

## एक नजर में

## आंगनवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण, तीन परियोजना अधिकारियों को थमाए नोटिस

रतलाम। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि कलेक्टर मिशा सिंह के निदेशानुसार जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की मॉनिटरिंग हेतु विकसित व्यवस्था के अंतर्गत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ केन्द्रों पर स्व सहायता समूह द्वारा निर्धारित मेनु अनुसार ताजा पका हुआ भोजन प्रदाय नहीं जा रहा था। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 3 परियोजना अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए एवं 4 स्व सहायता समूह का एक दिवस के पोषण आहार की राशि का कटौती किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र इंदरलोक नगर (रतलाम शहर 1), आंगनवाड़ी केंद्र आक्यापाडा (रतलाम शहर 2), आंगनवाड़ी केंद्र ब्रह्मांड गली जावरा शहर (जावरा शहर), आंगनवाड़ी केंद्र कलालिया-1 (जावरा ग्रामीण) पर निर्धारित मेनु अनुसार ताजा पका हुआ भोजन प्रदाय नहीं जा रहा था। परियोजना अधिकारी रतलाम शहर-1 श्रीमती चेतना गेहलोद, परियोजना अधिकारी जावरा ग्रामीण श्रीमती अंकिता पाटीदार, प्रभारी परियोजना अधिकारी रतलाम ग्रामीण-2 सुश्री फ़िरदोज खान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं अंबिका स्व सहायता समूह, वात्सल्य स्व सहायता समूह, वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह, अन्नदाता स्व सहायता समूह का एक दिवस के पोषण आहार की राशि का दायक अमान्य कर राशि कटौती की गई।

## हनुमान जन्मोत्सव : सनातन सोशल ग्रुप करेगा श्रद्धालुओं को 3 टन लस्सी वितरण की सेवा

रतलाम। केसरी नंदन बालाजी महाराज के जन्म उत्सव पर सनातन सोशल ग्रुप 3 टन केसरिया लस्सी का वितरण करेगा। सनातन सोशल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को लस्सी वितरण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 2 अप्रैल 2026 को सैलाना रोड स्थित बरबड़ हनुमान मंदिर पहुंचे मार्ग स्थित होटल श्री जी के बाहर शाम 7 बजे से सनातन सोशल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को लस्सी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सनातन सोशल ग्रुप द्वारा श्रद्धालु जनों की सेवा की जाएगी। सनातन सोशल ग्रुप संयोजक मुन्नालाल शर्मा और अध्यक्ष अनिल पुरोहित (एपी) ने बताया 2 अप्रैल-2026 (गुरुवार) को केसरी नंदन बालाजी महाराज के जन्म उत्सव पर सनातन सोशल ग्रुप 3 टन केसरिया लस्सी का वितरण कर धूमधाम से मनाया जाएगा। सनातन सोशल ग्रुप संरक्षक और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित पूर्व महापौर शैलेंद्र डगगा, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोखवाल, प्रवीण सोनी, राजेश माहेश्वरी, संदीप व्यास, कैलाश झालानी, राजेश दवे, प्रभु राठौड़, अशोक पंड्या, पवन सोमानी, निलेश पटेल, महेंद्र भट्ट, बलवंत भाटी, निमित्त चव्हा, नरेंद्र जोशी, शैलेंद्र तिवारी, शांतिलाल शर्मा, बद्रीलाल परिहार, राजेंद्र पाटीदार, सचिव रवि पंवार, उपाध्यक्ष निलेश सोनी, विशाल जायसवाल, नरेंद्र बाहेती, पप्पू माहेश्वरी, मंगल लोढ़ा आदि ने धर्मनिष्ठ श्रद्धालुजनों से भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर प्रसादी स्वरूप लस्सी वितरण कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है।

## कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती दोषी, जेल भेजा

## एफडी ब्याज घोटाले का मामला

ग्वालियर, 01 अप्रैल. दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने दतिया के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को एक 25 साल पुराने बैंक के एफडी ब्याज घोटाले में दोषी माना है. आज इसी क्रम में सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक राजेन्द्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. मामले की सजा संभवतः कल सुनाई जायेगी.

जानकारी के मुताबिक यह मामला लगभग 25 साल पूर्व का भूमि विकास बैंक से जुड़ा है, जिसमें विधायक राजेन्द्र भारती ने अपनी मां के नाम 10.50 लाख रुपये की एफडी कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा था. विधायक राजेन्द्र भारती पर आरोप था कि उन्होंने तीन साल की एफडी को ज्यादा ब्याज के लालच में बैंक अध्यक्ष रहते हुये 2001 में फिर दस्तावेजों में गड़बड़



## गृहमंत्री को हराकर विधायक बने थे

कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती गत विधानसभा चुनाव में प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा को हराकर विधायक बने थे. गृहमंत्री को हराने के कारण वह प्रदेश और देश में सुर्खियों में आ गये थे. उन्होंने गृहमंत्री डा. मिश्रा को 7742 मतों से पराजित किया था.

कर फिर अवधि बढ़वा दी, ताकि ब्याज ज्यादा मिलता रहा. 2003 में बैंक प्रबंधकों को इस गड़बड़ की जानकारी लगी तो इसकी जांच कराई गई जिसमें विधायक राजेन्द्र

भारती व उनकी मां को दोषी पाया गया. बाद में यह मामला उपभोक्ता फोरम से लेकर दतिया की कोर्ट में पहुंचा तो विधायक राजेन्द्र भारती ने निष्पक्ष सुनवाई के लिये मप्र से बाहर मामला सुनवाई की अपील की. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा.

जहां एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें धोखाधड़ी का दोषी माना है. हालांकि अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन राजेन्द्र भारती को आज दिल्ली में हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. बताया जाता है कि इस मामले में बैंक कर्मचारी नरेन्द्र सिंह ने दतिया कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको कोर्ट ने गंभीरता से लेकर इसे धोखाधड़ी का मामला मानकर केस दर्ज करने के आदेश दिये थे. राजेन्द्र भारती पर बैंक के दस्तावेजों साक्ष्य के बाद जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश आईपीसी 420, 667, 467, 471, 409, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.

## कंबाइन हार्वेस्टरों को टोल प्लाजा में मिलेगी छूट

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 1 अप्रैल. प्रदेश में अब कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों को मप्र सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से छूट रहेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं. बैठक समत्व भवन में हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाला कंबाइन हार्वेस्टर आवश्यक कृषि उपकरण है. टोल मार्गों पर टोल छूट दिए जाने से हार्वेस्टर की परिवहन लागत में कमी आएगी. जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि उपज के मूल्य पर होगा, यह निर्णय कृषकों के लिए हितकर सिद्ध होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल



की बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फोल्ड मार्ग और उज्जैन-जावरा ग्रीन फोल्ड मार्ग के नॉन एक्सेस कंट्रोल परियोजना के रूप में निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया. संचालक मंडल ने पश्चिम भोपाल बायपास के परिवर्तित एलानमेंट को अनुमोदन प्रदान कर निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की. बैठक में वारिफ लेखों तथा अन्य प्रबंधकीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए.

## बाबूलाल बैरवा पर हमले के विरोध में श्योपुर रहा बंद

श्योपुर. सकल हिन्दू समाज के आह्वान पर श्योपुर में शहर बंद और प्रदर्शन किया गया. यह प्रदर्शन कलानरा बस्ती में चाकूबाजी के विरोध में था. सुबह शहर में एक रैली निकाली गई. प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों से बाजार बंद रखने की अपील की, जिसके बाद बड़ी संख्या में दुकानें बंद हो गईं. प्रदर्शनकारी हजरेश्वर पार्क में एकत्रित हुए और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कोतवाली के सामने धरना दिया. उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सहित कई मांगों को उठाया. इसमें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. धरने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट गगन मोषा को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

## मांग

लखनादौन-रायपुर 6 लेन मार्ग निर्माण की स्वीकृति का आग्रह

## सांसद भारती पारधी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की भेंट

## भारती पारधी ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की

## यह मार्ग मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है

बालाघाट-सिवनी, 1 अप्रैल. लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी एवं राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर लखनादौन-बालाघाट-लांजी-खैरागढ़-रायपुर मार्ग को 6-लेन में विकसित करने की स्वीकृति देने का आग्रह किया.



सांसदों ने मंत्री को अवगत कराया कि यह मार्ग मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है और यातायात, व्यापार, पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्तमान में



## शॉर्ट एनकाउंटर में हत्यारा आसिफ गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर भोपाल, 01 अप्रैल. अशोका गार्डन थाना पुलिस ने बुधवार को शॉर्ट एनकाउंटर करते हुए होटल संचालक के हत्यारे आसिफ उर्फ बम को गिरफ्तार कर लिया. रातीबड़ थाना इलाके से घायल अवस्था में आसिफ को हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है.

आसिफ पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम हाउस का घेराव करने भी पहुंचे. पुलिस ने इससे पहले लोगों को रोका और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

भोपाल पुलिस कमिश्नर

## सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे लोग

घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के सामने आसिफ की फरारी चुनौती बनी हुई थी. पुलिस लगातार तकनीकी सहायता लेते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की और रातीबड़ इलाके में उस तक पहुंची. इधर आसिफ की गिरफ्तारी से पहले बुधवार को विजय मेवाड़ा का ब्रह्मजिले दी गई. सुबह के करीब 11 से 1 बजे तक हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सकल हिंदू समाज की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे.

संजय कुमार के अनुसार आरोपी आसिफ की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी थी. इस दौरान उसके रातीबड़ इलाके में होने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी आसिफ ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को

भी जब्त कर ली है.

आसिफ और उसके दो साथियों पर 31 वर्षीय होटल संचालक विजय मेवाड़ा की हत्या करने का आरोप है. इस हत्याकांड में आसिफ मुख्य आरोपी के तौर पर हत्या में शामिल था. आसिफ के खिलाफ पूर्व के कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं. पुलिस इससे पहले विजय की हत्या के मामले में आसिफ के दो आरोपी साथियों आरोपी फरमान उर्फ आरिस और मो. इमरान उर्फ ब्रावो को घटना के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आसिफ लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था.

## सीमांकन मामले में पटवारी को बनाया आरोपी

## हाईकोर्ट ने निरस्त की एफआईआर

जबलपुर, 1 अप्रैल. महिला पटवारी ने नियुक्ति से तीन साल पूर्व हुए सीमांकन में मामले में आरोपी बनाए जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा एकलपीठने अपने आदेश में कहा है कि नियुक्ति के के तीन साल पूर्व हुई घटना में महिला पटवारी को आरोपी बनाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. एकलपीठने महिला पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किये हैं.

याचिकाकर्ता कुमारी राजनंदिनी मिश्रा को तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी भाई की 2021 में हुई थी. इसके बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मार्च 2022 में उसे कटनी

## जलाशयों का सीमांकन कर तत्काल हटाए अतिक्रमण

टीकमगढ़ के वेदेंडिस के मामले में पूर्व निर्देशों का पालन नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी ने अपने कर्तव्यों में पूरी तरह विफल रहे हैं. एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ भोपाल ने निर्देश दिए कि जलाशयों का सीमांकन करवाकर तत्काल अतिक्रमण हटाए जाए. अतिक्रमण ने इस मामले में विशेष टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश भी दिए. मामले की अगली सुनवाई 11 मई 2026 को होगी.

जिले के स्लीमनाबाद के ग्राम भेडा में पटवारी के पद पर नियुक्ति किया गया था.

उसी गांव में नरेंद्र जैन के नाम पर जमीनी थी, जिनकी साल 2016 में मौत हो गयी थी. उनकी मौत होने के बाद उक्त जमीन उसके वारिसों के नाम पर दर्ज हो गयी थी. इसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने सीमांकन का आवेदन पर राजस्व विभाग में दिया गया था. राजस्व विभाग के द्वारा नरेंद्र जैन के नाम पर नॉटिस जारी किया गया था. प्रकरण की सुनवाई के बाद नरेंद्र जैन की अनुपस्थिति में उन्हें अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया.

जिसके खिलाफ उनके वारिसों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि प्राइवेट व्यक्ति ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मृत व्यक्ति के नाम पर नॉटिस जारी करते हुए उसे अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया. हाईकोर्ट ने प्रकरण की जांच करते हुए दोधियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये थे. स्लीमनाबाद पुलिस ने मई 2025 को उसके सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया.

## सीबीआई का शिकंजा : जीएसटी दफ्तर में सहायक आयुक्त रंगेहाथ गिरफ्तार

रतलाम। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग के दफ्तर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने अचानक छपेमारी करते हुए सहायक आयुक्त शंकर परमार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अधिकारी को 1.5 लाख की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ा (सीबीआई द्वारा 31 मार्च 2026 को दर्ज किए गए इस प्रकरण में सहायक आयुक्त शंकर परमार के साथ निजी व्यक्ति सुरेश मनसुखानी को भी आरोपी

बनाया गया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई को 30 जनवरी 2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, सीजीएसटी रतलाम के अधिकारी एक फर्म के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई नहीं करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की फर्म जावरा क्षेत्र की बताई जा रही है। सीबीआई द्वारा की गई जांच सत्यापन में सहायक आयुक्त शंकर परमार ने एक बिचौलिया के माध्यम से शिकायतकर्ता से 5 लाख की रिश्वत मांगी थी।

## सीबीआई को जनवरी में की थी शिकायत

सीबीआई को 30 जनवरी 2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीजीएसटी रतलाम के अधिकारी एक फर्म के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई नहीं करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की फर्म जावरा क्षेत्र की बताई जा रही है। सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और सत्यापन में यह तथ्य सामने आया कि सहायक आयुक्त शंकर परमार ने एक बिचौलिया के माध्यम से शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रेप कार्रवाई की योजना बनाई।

## स्पा सेंटरों पर पुलिस का सख्त पहरा आकस्मिक जांच से मचा हड़कंप

नवभारत न्यूज रतलाम। शहर में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से रतलाम पुलिस द्वारा होटल, लॉज एवं स्पा सेंटरों की लगातार जांच की जा रही है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 31 मार्च 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत स्पा सेंटरों की आकस्मिक जांच की गई। पुलिस टीम ने कस्तूरबा नगर स्थित सेवन मिरर स्पा सेंटर एवं क्रिस्टल स्पा सेंटर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टाफ से पूछताछ कर उनकी पहचान संबंधी जानकारी जुटाई गई और स्पा सेंटर में मौजूद कमरों की बारीकी से



तलाशी ली गई। साथ ही मेटेनेस रिजिस्टर, स्टाफ विवरण, आंगतुक रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की गई। पुलिस ने स्पा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए, रिजिस्टर एवं नियमित संधारण किया जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अनिशा जैन, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक रेखा चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। रतलाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

## हाई कोर्ट में निर्मला सप्रे का दावा- मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ

## 9 अप्रैल को स्पीकर के सामने सिंघार रखेंगे पक्ष

जबलपुर, 01 अप्रैल. निर्मला सप्रे से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आया. सप्रे ने अदालत में कहा कि वे अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं. यह सुनवाई उमंग सिंघार द्वारा दायर याचिका पर हुई, जिसमें सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है. सिंघार का आरोप है कि सप्रे ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियां कीं और मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच साझा किया,



जो दलबदल कानून का उल्लंघन हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि उन्होंने भाजपा का समर्थन किया, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया. हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि 16 महीने बीतने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने इस याचिका पर फैसला क्यों नहीं लिया. इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी याचिका पर निर्णय लेना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है.